



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

₹100

e-Stamp

Certificate No. : IN-DL69019231693401X
Certificate Issued Date : 08-Oct-2025 10:21 AM
Account Reference : IMPACC (IV)/ dl740903/ DELHI/ DL-ESD
Unique Doc. Reference : SUBIN-DL74090367992995713434X
Purchased by : GOVERNMENT EMARKETPLACE
Description of Document : Article 5 General Agreement
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : GOVERNMENT EMARKETPLACE
Second Party : NATIONAL CENTRE FOR GOOD GOVERNANCE
Stamp Duty Paid By : GOVERNMENT EMARKETPLACE
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



₹100

Please write or type below this line

IN-DL69019231693401X



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding ("MoU") executed at New Delhi on the __ day of October 2025 between:

Government EMarketplace, a Special Purpose Vehicle (SPV) under the aegis of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, registered as a Section 8 Company under the Companies Act 2013, having its office at 2nd Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, ("GeM") and represented by Shri. Mihir Kumar, Chief Executive Officer, GeM, whose expression shall, unless it is repugnant to the subject or context thereof, include its successor and assigns of the FIRST PARTY.

AND

National Centre for Good Governance (hereinafter referred to as "NCGG"), an apex-level autonomous research and training institution under the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DAR&PG), Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions, Government of India (GoI), having its headquarter on the 9th floor, NDCC-II building, Jai Singh Marg, New Delhi, through its authorised signatory Shri. Surendra Kumar Bagde, DG, NCGG, whose expression, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, shall mean and include its successors and assigns, as the SECOND PARTY.

WHEREAS GeM and NCGG are hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually as the "Party."

1. BACKGROUND

GeM is the National Public Procurement Portal for the procurement of goods and services for all Central Government and State Government Ministries, Departments, Public Sector Units (PSUs) and autonomous bodies. GeM endeavours to make public procurement processes transparent, efficient, and inclusive. GeM acts as a centralized and unified public procurement platform for government buyer organizations and suppliers of goods and services, accompanied by Policy reforms for current processes of the public procurement ecosystem, Driving inclusiveness and Ease of Doing Business (EoDB) with the government (especially to smaller organizations such as MSMEs), Standardization of processes backed by the regulatory framework and a fully automated system enabled through advanced technologies.

NCGG is mandated to work in the areas of governance, policy reforms, capacity building and training of civil servants of India and of other developing countries.

Both the Parties are entering into this MoU in order to set up an institutional mechanism for formal interaction between GeM and NCGG.



NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND AMONG THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

2. AREAS OF CO-OPERATION

The Parties agree to collaborate under this MoU as follows:

- (a) GeM is a unique organization aimed towards providing transparency in the government procurement process. NCGG would engage in academic and policy research on GeM and NCGG, either by itself or through its partner institutions, identify and provide technical and policy solutions to the problems identified by GeM.
- (b) NCGG would like to publish academic and policy articles related to GeM and its business models, achievements and related aspects.
- (c) NCGG at times would request specific information or data points for the purpose of this research and article writing.
- (d) GEM may propose research problems concerning its functioning to the NCGG, which can be taken up with mutual agreement.

In furtherance of the aforesaid, both the Parties shall be obliged to collaborate and cooperate in research and publications.

3. INFORMATION AND CONFIDENTIALITY OBLIGATION

- (a) For the purpose of this MoU, the Parties may share confidential information with each other in written or oral form, information such as projection, data, know-how, design, materials, etc. which are confidential in nature. The recipient Party is obligated to keep such information confidential and not disclose it nor permit the disclosure of it to any third party, except in accordance with the provision stated here in and undertake to use the confidential information solely for the purpose of this MoU and not permit any third party use such information, whether commercial or non-commercial, without the prior written consent of the disclosing Party.
- (b) Exceptions to confidentiality obligation as practiced and understood in common parlance of confidentiality obligation shall apply to the Parties, which are including but not limited to the following:
 - i. The information was in the public domain at the time it was communicated to the Recipient by the Disclosing Party;
 - ii. The information entered the public domain subsequent to the time it was communicated to the Recipient by the Disclosing Party through no fault of the Recipient;



- iii. The information was in the Recipient's possession free of any obligation of confidence at the time it was communicated to the Recipient by the Disclosing Party;
 - iv. The information was rightfully communicated to the Recipient free of any obligation of confidence by a third party subsequent to the time it was communicated to the Recipient by the Disclosing Party;
 - v. The information was developed by employees or agents of the Recipient independently of and without use or reference to any Confidential Information communicated to the Recipient by the Disclosing Party;
 - vi. The information is required to be disclosed pursuant to an order of a duly empowered government agency or a court of competent jurisdiction, provided due notice and an adequate opportunity to intervene is given to the Disclosing Party, unless such notice is prohibited by such order.
- (c) The obligation of confidentiality created pursuant to this clause shall be in force even after termination or expiry of this MoU.
- (d) The data provided to NCGG under this MoU remains the exclusive property of GeM, and NCGG will ensure that such data is not shared with any third party without express prior written permission of GeM.

4. FUNDING AND FINANCIAL RESPONSIBILITIES:

Each Party will bear its respective cost for carrying out its obligations under this MoU, unless otherwise agreed to in writing by the Parties for implementing the scope of this MoU. With mutual consent, both Parties may discuss and share expenses as discussed and mutually decided to execute this MoU/Agreement for all such programs and initiatives.

5 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR):

- (a) Any report or document generated by NCGG under this MoU and data proposed to be provided by NCGG through any publicly accessible online database or dashboards, may be published or circulated for academic and research purposes only, and shall not be used for any commercial purpose. Such publication or circulation shall be subject to prior intimation to GeM and due consideration of GeM's suggestions in the draft prior to release.
- (b) All intellectual property over software systems, algorithms, analytical tools, procedures, operating, quality, control audit and user manuals, data, database design, screens, source and object code etc., to the extent that they are proprietary to a Party, shall be treated as the intellectual property of such Party.
- (c) All intellectual property rights of a Party developed/acquired prior to or independently of this MoU ("Pre-Existing IP"), shall belong exclusively to such Party, and this MoU shall



not be construed as giving either Party any rights over such Pre-Existing intellectual property of the other Party.

Third Party Infringement

The Parties shall promptly notify each other of any infringement or unauthorized use of each other's intellectual property, trademarks, or brand that comes to its attention. The Parties agree to cooperate fully with each other in the enforcement and protection of intellectual property rights as stated in Clause 5.

6. DATA PROTECTION

Each Party agrees to use reasonable efforts in accordance with their respective internal policies and procedures and industry standards to safeguard all confidential and other personal data in its possession or under its management, against destruction, loss, disclosure or misuse, and agrees to comply with all applicable laws with respect to the protection of such data, with clause 3 (b) exceptions applied. At any time, and on termination/expiration of this MoU, each Party shall promptly return to the other Party, any and all of such data of the other Party or such portion of it as has been requested. At the request of a Party (**Disclosing Party**), after sharing any information it deems to be confidential, the other Party (**Recipient**) shall:

- (a) Return to the Disclosing Party all documents and materials (and any copies) containing, reflecting, incorporating, or based on the Disclosing Party's Confidential Information.
- (b) Erase all the Disclosing Party's information from its computer systems or which is stored in electronic form (to the extent possible).
- (c) Certify in writing to the Disclosing Party that it has complied with the requirements of this clause.
- (d) If the Recipient develops or uses a product or a process which, in the reasonable opinion of the Disclosing Party, might have involved the use of any of the Disclosing Party's information, the Recipient shall, at the request of the Disclosing Party, supply to the Disclosing Party information reasonably necessary to establish that the Disclosing Party's information has not been used or disclosed.

Data Protection: To the extent that personal data (as defined in the Information Technology Act 2000 or Digital Personal Data Protection Act, 2023 ("DPDP Act") or any such other applicable law) ("Personal Data") is received by the Parties, pursuant to or in relation to this MoU:

- (e) The Parties acknowledge that the eventual collection and processing of personal data in accordance with this MoU is subject to applicable laws governing data protection.
- (f) For the purposes of the services, if required, GeM will provide NCGG with the Participant's first name, last name, and e-mail address (collectively referred to as "Personal Data"). In its



role as a data processor, NCGG will process the Personal Data provided by the GEM in accordance with the terms of this MoU.

- Collect, use, share and process any Personal Data shared pursuant to this MoU, as per the DPDP Act and other applicable data protection laws.
 - Provide reasonable assistance and respond to a data subject's request to correct an error or omission in Personal Data or to withdraw consent to the collection, use or disclosure of Personal Data.
- (g) To the extent any Party engages any third-party sub-processors to process Personal Data, such entities shall be subject to the same level of data protection and security under the terms of this MoU, and such Party shall be responsible for the performance of the third-party sub-processors' obligations in compliance of applicable data protection law.

The Parties agree that:

- (h) NCGG shall inform data subjects of the purposes of the processing as participants of the program.
- (i) NCGG shall use the Personal Data it accesses exclusively for the performance of the obligations in accordance with the terms and conditions of this MoU.
- (j) NCGG shall not access or use the Personal Data for any other purpose than the one set out in this MoU, nor shall NCGG communicate to them, without the consent of GeM or the Participant.
- (k) NCGG shall process the Personal Data in full compliance with the obligations of confidentiality set out in this MoU and shall ensure that its own and/or subcontracted employees/faculty observe such duty of secrecy.
- (l) NCGG shall implement legal requirements related to protection of personal data in its information systems, paper files or other devices that store Personal Data, the proper level of security measures against unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access.
- (m) During the term of the MoU, NCGG will inform GeM within the next two (2) business days, in case it receives from Participants a request of access to their Personal Data, to modify their Personal Data, or for erasure of Personal Data, as well as a request limiting their processing or oppose said processing of their Personal Data.

7. ACKNOWLEDGEMENT

- (a) All knowledge products created under this MoU (whether final reports or any other documents, by whatever name called) shall duly acknowledge GeM.



Marketing and Publicity

- (b) Either Party shall not issue any press releases, advertisements, marketing collateral, or other public communications regarding its relationship or collaboration with each other without other Party's prior written approval.

Protection of Other Party's Reputation

- (c) Either Party shall not engage in any conduct, actions, or activities that would have an adverse impact on each other's brand, reputation, or standing in the educational and business communities.

8. INDEMNIFICATION

Each Party shall indemnify and hold harmless the other Party including their respective officers, directors, employees, representatives, affiliates, successors and assigns from and against all claims, demands, cost, liabilities, losses, expenses, adverse judgement, and damages arising out of or in connection with this MoU, arising out of the Indemnifier's gross negligence or wilful misconduct in performing any of its obligations under this MoU.

9. TERM AND TERMINATION

This MoU shall become effective from the date of execution as signed by both the Parties and continue in effect for three (3) years, unless terminated earlier by either Party upon notice to the other. Each Party shall have the right to terminate the MoU by giving 1 (one) month' notice in writing to the other Party at any time.

Termination by either side shall not affect any prior obligation, project, or activity already in progress. Notwithstanding the termination, all the rights and obligations accrued till the effective date of termination shall be binding on the Parties.

10. AMENDMENT CLAUSE

This MoU may be modified or amended by written agreement between both the Parties.

11. MISCELLANEOUS PROVISIONS

- (a) This MoU is entered into between the Parties on a principal-to-principal basis, and nothing in this MoU shall constitute or be deemed to constitute a partnership or agency between the Parties hereunder, and the Parties shall not have any authority to bind the other Party in any manner.
- (b) It is hereby agreed that this signed MoU can be put in the public domain by the Parties.
- (c) This MoU shall be governed and construed in accordance with the laws enforced in India.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- (d) Any differences or disputes arising out of or in connection with this MoU shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in New Delhi only.
- (e) Each Party will comply with all applicable laws, rules, and regulations in its performance of this MoU.

In WITNESS, the Parties hereto have executed these presents the day, month and year first herein above written.

Signed and delivered by (On behalf of GeM, Govt. of India)	In presence of Witness 1 (For GeM, Govt. of India)
— Shri. Mihir Kumar, आईडीएस / MIHIR KUMAR, IDAS CEO / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Chief Executive Officer Government e Marketplace (GeM) / गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) Ministry of Commerce and Industry, Government of India / भारत सरकार / Ministry of Commerce and Industry, Government of India Place: New Delhi / जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001 / Jeevan Tara Building, New Delhi-110001 Date:	Shri. Ashish Kumar Saxena Deputy CEO / आशीष कुमार सक्सेना / ASHISH KUMAR SAXENA Government e Marketplace / Director-GeM Buyer Management Ministry of Commerce and Industry / विपणन-जेम केता प्रबंधन / Ministry of Commerce and Industry Place: New Delhi / गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस / Government of India Ministry of Commerce and Industry / भारत सरकार / Ministry of Commerce and Industry, Government of India / नई दिल्ली / New Delhi-110001
Signed and delivered by (On behalf of NCGG, Govt. of India) Dr Surendra Kumar Bagde Director General (DG) National Centre for Good Governance Department of Administrative Reforms & Pensions and Grievances (DAR&PG), Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India Place: New Delhi Date:	In presence of Witness 2 (For NCGG, Govt. of India) Gangsh



h



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

₹100

e-Stamp

₹100

Certificate No.	: IN-DL69018719592805X
Certificate Issued Date	: 08-Oct-2025 10:19 AM
Account Reference	: IMPACC (IV)/ dl740903/ DELHI/ DL-ESD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-DL74090367993227148599X
Purchased by	: GOVERNMENT EMARKETPLACE
Description of Document	: Article 5 General Agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: GOVERNMENT EMARKETPLACE
Second Party	: NATIONAL CENTRE FOR GOOD GOVERNANCE
Stamp Duty Paid By	: GOVERNMENT EMARKETPLACE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



₹100

Please write or type below this line

IN-DL69018719592805X



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") नई दिल्ली में अक्टूबर 2025 के __ दिन निम्नलिखित पक्षों:

गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसका कार्यालय द्वितीय तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, ("जेम") में स्थित है और इसका प्रतिनिधित्व जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मिहिर कुमार के द्वारा किया गया जिनकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और प्रथम पक्ष के समनुदेशिनी शामिल होंगे।

और

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (आगे "एनसीजीजी" के रूप में संदर्भित), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक शीर्ष-स्तरीय स्वायत्त अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका मुख्यालय नवम तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुरेंद्र कुमार बागड़े, महानिदेशक, एनसीजीजी के द्वारा किया गया जिनकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और द्वितीय पक्ष के रूप में समनुदेशिनी शामिल होंगे।

के बीच निष्पादित हुआ।

जबकि जेम और एनसीजीजी को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

1. पृष्ठभूमि

जेम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। जेम सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाने का प्रयास करता है। जेम सरकारी क्रेता संगठनों और वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत सार्वजनिक खरीद मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके साथ सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम की वर्तमान प्रक्रियाओं के लिए नीतिगत सुधार, सरकार के साथ समावेशिता और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना (विशेषकर एमएसएमई जैसे छोटे संगठनों के लिए), नियामक ढांचे द्वारा समर्थित प्रक्रियाओं का मानकीकरण और उन्नत तकनीकों द्वारा सक्षम एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली शामिल है।

एनसीजीजी को भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सर्वेंट के शासन, नीतिगत सुधारों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कार्य करने का अधिदेश दिया गया है।



दोनों पक्षों जेम और एनसीजीजी के बीच औपचारिक संपर्क हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

अब इसके पक्षों द्वारा तथा उनके बीच निम्नलिखित सहमति व्यक्त की जाती है:

2. सहयोग के क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, दोनों पक्षों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है:

- (क) जेम एक यूनिक संगठन है जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। एनसीजीजी, जेम पर अकादमिक और नीतिगत अनुसंधान में शामिल होगा और एनसीजीजी, स्वयं या अपने सहयोगी संस्थानों के माध्यम से, जेम द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं की पहचान करेगा और उनके तकनीकी एवं नीतिगत समाधान प्रदान करेगा।
- (ख) एनसीजीजी जेम और उसके व्यावसायिक मॉडल, उपलब्धियों और संबंधित पहलुओं से संबंधित शैक्षणिक और नीतिगत लेख प्रकाशित करना चाहेगा।
- (ग) एनसीजीजी कभी-कभी इस अनुसंधान और लेख लेखन के उद्देश्य से विशिष्ट जानकारी या डेटा बिंदुओं के लिए अनुरोध करेगा।
- (घ) जेम अपनी कार्यप्रणाली से संबंधित अनुसंधान संबंधी समस्याओं का प्रस्ताव एनसीजीजी के समक्ष रख सकता है, जिन पर आपसी सहमति से विचार किया जा सकता है।

पूर्वोक्त के अनुसरण में, दोनों पक्ष अनुसंधान और प्रकाशनों में सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे।

3. सूचना एवं गोपनीयता दायित्व

- (क) इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनार्थ, पक्षों द्वारा लिखित या मौखिक रूप में एक-दूसरे के साथ गोपनीय जानकारी साझा की जा सकती है, जैसे प्रोजेक्शन, डेटा, तकनीकी जानकारी, डिज़ाइन, मैटेरियल आदि, जो गोपनीय प्रकृति की हैं। प्राप्तकर्ता पक्ष ऐसी जानकारी को गोपनीय रखने और इसे किसी अन्य पक्ष को प्रकट न करने या प्रकट करने की अनुमति न देने के लिए बाध्य है, सिवाय इसके कि यहाँ उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हो। वह गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनार्थ करने का वचन देता है और प्रकट करने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष को, चाहे वह वाणिज्यिक हो या गैर-वाणिज्यिक, ऐसी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

- (ख) गोपनीयता दायित्व के अपवाद, जैसा कि गोपनीयता दायित्व के सामान्य बोलचाल में व्यवहार



(क)



ह

में लाया जाता है और समझा जाता है, पक्षों पर लागू होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- i. सूचना उस समय सार्वजनिक डोमेन में थी, जब इसे प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता को संप्रेषित किया गया था;
- ii. सूचना प्राप्तकर्ता की किसी गलती के बिना, प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता को संप्रेषित किए जाने के बाद सार्वजनिक डोमेन में आई;
- iii. प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता को दी गई सूचना के समय यह सूचना प्राप्तकर्ता के पास थी और किसी भी गोपनीयता के दायित्व से मुक्त थी;
- iv. प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता को दी गई सूचना के बाद, किसी भी अन्य पक्ष द्वारा गोपनीयता के दायित्व से मुक्त होकर, प्राप्तकर्ता को उचित तरीके से सूचना दी गई थी;
- v. यह जानकारी प्राप्तकर्ता के कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा प्रकटकर्ता पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता को दी गई किसी भी गोपनीय जानकारी से स्वतंत्र रूप से और उसके उपयोग या संदर्भ के बिना विकसित की गई थी;
- vi. यह जानकारी किसी विधिवत अधिकृत सरकारी एजेंसी या सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रकट की जानी आवश्यक है, बशर्ते प्रकटकर्ता पक्ष को उचित सूचना और हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, जब तक कि ऐसी सूचना ऐसे आदेश द्वारा निषिद्ध न हो।

(ग) इस खंड के अनुसरण में बनाई गई गोपनीयता की बाध्यता इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति या अवधि पूर्ण होने पर भी लागू रहेगी।

(घ) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एनसीजीजी को प्रदान किया गया डेटा जेम की एकमात्र संपत्ति बना रहेगा, और एनसीजीजी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा डेटा जेम की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

4. वित्तपोषण और वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ:

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्येक पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेगा, जब तक कि इस समझौता ज्ञापन के दायरे को लागू करने के लिए पक्षों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो। आपसी सहमति से, पक्षों द्वारा इस समझौता ज्ञापन/अनुबंध को लागू करने हेतु सभी कार्यक्रमों और पहलों के संबंध में चर्चा करेंगे और पारस्परिक रूप से लिए गए निर्णयों के अनुसार खर्चों पर चर्चा करके उन्हें साझा कर सकते हैं।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर):

(क) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एनसीजीजी द्वारा तैयार की गई कोई भी रिपोर्ट या दस्तावेज़ और किसी भी सार्वजनिक रूप से आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस या डैशबोर्ड के माध्यम से एनसीजीजी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित डेटा को केवल शैक्षणिक और अनुसंधान



h-c



h

के उद्देश्यों के लिए प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है, और इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रकाशन या प्रसारित करने के लिए जेम को पूर्व सूचना देनी होगी और जारी करने से पहले ड्रॉफ्ट में जेम के सुझावों पर उचित विचार करना होगा।

(ख) सॉफ्टवेयर सिस्टम, एल्गोरिदम, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रक्रियाएं, संचालन, गुणवत्ता, नियंत्रण लेखापरीक्षा और यूजर मैनुअल, डेटा, डेटाबेस डिज़ाइन, स्क्रीन, स्रोत और ऑब्जेक्ट कोड आदि पर सभी बौद्धिक संपदा, इस सीमा तक कि वे किसी पक्ष के स्वामित्व में हैं, को उस पक्ष की बौद्धिक संपदा माना जाएगा।

(ग) इस समझौता ज्ञापन से पहले या स्वतंत्र रूप से विकसित/अर्जित किसी पक्ष के सभी बौद्धिक संपदा अधिकार ("पूर्व-मौजूदा आईपी"), विशेष रूप से उस पक्ष के होंगे, और इस समझौता ज्ञापन को किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष की ऐसी पूर्व-मौजूदा बौद्धिक संपदा पर कोई अधिकार देने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अन्य पक्ष का उल्लंघन

पक्षों द्वारा एक-दूसरे की बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क या ब्रांड के किसी भी उल्लंघन या अनधिकृत उपयोग के बारे में तुरंत एक-दूसरे को सूचित किया जाएगा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन या अनधिकृत उपयोग उनके ध्यान में आता है। पक्षों द्वारा खंड 5 में उल्लिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण में एक-दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

6. डेटा संरक्षण

प्रत्येक पक्ष अपनी-अपनी आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और उद्योग मानकों के अनुसार अपने अधिकार में या अपने प्रबंधन के अधीन सभी गोपनीय और अन्य व्यक्तिगत डेटा को नष्ट होने, हानि, प्रकटीकरण या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित प्रयास करने के लिए सहमत है, और ऐसे डेटा की सुरक्षा के संबंध में सभी लागू कानूनों का पालन करने के लिए सहमत है, जिसमें खंड 3 (बी) के अपवाद लागू होते हैं। किसी भी समय, और इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति या अवधि पूर्ण होने पर प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके किसी भी और सभी डेटा या उसके अनुरोधित भाग को तुरंत वापस कर देगा। किसी पक्ष (प्रकटकर्ता पक्ष) के अनुरोध पर, किसी भी जानकारी को साझा करने के बाद, जिसे वह गोपनीय मानता है, दूसरा पक्ष (प्राप्तकर्ता) निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) प्रकटकर्ता पक्ष को सभी दस्तावेज़ और सामग्री (और कोई भी प्रतिलिपियाँ) लौटाएँ, जिनमें प्रकटकर्ता पक्ष की गोपनीय जानकारी शामिल हो, प्रतिबिंबित हो, सम्मिलित हो, या उस पर आधारित हो।

(ख) प्रकटकर्ता पक्ष की सभी जानकारी को उसके कंप्यूटर सिस्टम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत जानकारी को मिटा दें (जहाँ तक संभव हो)।

(ग) प्रकटकर्ता पक्ष को लिखित रूप में प्रमाणित करें कि उसने इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।



(घ) यदि प्राप्तकर्ता किसी ऐसे उत्पाद या प्रक्रिया का विकास या उपयोग करता है जिसमें, प्रकटकर्ता पक्ष की उचित राय में, प्रकटकर्ता पक्ष की किसी भी जानकारी का उपयोग शामिल हो सकता है, तो प्राप्तकर्ता, प्रकटकर्ता पक्ष के अनुरोध पर, प्रकटकर्ता पक्ष को यह स्थापित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा कि प्रकटकर्ता पक्ष की जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

डेटा संरक्षण: इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में या इसके संबंध में, पक्षों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत डेटा (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") या किसी अन्य लागू कानून में परिभाषित) ("व्यक्तिगत डेटा") की सीमा तक:

(ङ) पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि इस समझौता ज्ञापन के अनुसार व्यक्तिगत डेटा का अंतिम संग्रह और प्रसंस्करण डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के अधीन है।

(च) सेवाओं के प्रयोजनों के लिए, यदि आवश्यक हो, तो जेम, एनसीजीजी को प्रतिभागी का पहला नाम, अंतिम नाम और ईमेल एड्रेस (सामूहिक रूप से "व्यक्तिगत डेटा" के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। डेटा प्रोसेसर के रूप में अपनी भूमिका में, एनसीजीजी, जेम द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा को इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार संसाधित करेगा।

- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत साझा किए गए किसी भी व्यक्तिगत डेटा को डीपीडीपी अधिनियम और अन्य लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अनुसार एकत्रित, उपयोग, साझा और संसाधित करना।
- व्यक्तिगत डेटा में किसी त्रुटि या चूक को ठीक करने या व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग या प्रकटीकरण के लिए सहमति वापस लेने के लिए डेटा विषय के अनुरोध पर उचित सहायता प्रदान करना और उसका जवाब देना।

(छ) जिस सीमा तक कोई पक्ष व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए किसी अन्य पक्ष के उप-प्रसंस्करणकर्ताओं को नियुक्त करता है, ऐसी संस्थाएं इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत डेटा संरक्षण और सुरक्षा के समान स्तर के अधीन होंगी, और ऐसा पक्ष लागू डेटा संरक्षण कानून के अनुपालन में अन्य पक्ष के उप-प्रसंस्करणकर्ताओं के दायित्वों के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होगा।

पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि:

(ज) एनसीजीजी, कार्यक्रम के प्रतिभागियों के रूप में प्रसंस्करण के उद्देश्यों के बारे में डेटा के विषयों को सूचित करेगा।

(झ) एनसीजीजी, इस समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार दायित्वों के निष्पादन के लिए



विशेष रूप से प्राप्त व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करेगा।

- (ज) एनसीजीजी इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच या उसका उपयोग नहीं करेगा, और न ही एनसीजीजी जेम या प्रतिभागी की सहमति के बिना उन्हें कोई सूचना देगा।
- (ट) एनसीजीजी इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित गोपनीयता के दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्वयं के और/या उप-अनुबंधित कर्मचारी/फैकल्टी गोपनीयता के ऐसे कर्तव्य का पालन करें।
- (ठ) एनसीजीजी अपनी सूचना प्रणालियों, कागजी फाइलों या अन्य उपकरणों में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं को लागू करेगा, जो व्यक्तिगत डेटा, गैरकानूनी विनाश या आकस्मिक हानि, परिवर्तन, अनधिकृत प्रकटीकरण या पहुँच के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उचित स्तर को संग्रहीत करते हैं।
- (ड) समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान, एनसीजीजी अगले दो (2) व्यावसायिक दिनों के भीतर जेम को सूचित करेगा, यदि उसे प्रतिभागियों से उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच का अनुरोध, उनके व्यक्तिगत डेटा को संशोधित करने, या व्यक्तिगत डेटा को मिटाने के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण को सीमित करने या उनके व्यक्तिगत डेटा के उक्त प्रसंस्करण का विरोध करने का अनुरोध प्राप्त होता है।

7. स्वीकृति

- (क) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्मित सभी नॉलेज उत्पाद (चाहे अंतिम रिपोर्ट हों या कोई अन्य दस्तावेज़, चाहे किसी भी नाम से कहा जाएँ) जेम को विधिवत स्वीकृति प्रदान करेंगे।

मार्केटिंग और पब्लिसिटी

- (ख) कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना एक दूसरे के साथ अपने संबंध या सहयोग के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, मार्केटिंग सामग्री या अन्य सार्वजनिक संचार जारी नहीं करेगा।

दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा की सुरक्षा

- (ख) कोई भी पक्ष ऐसे किसी भी आचरण, कार्य या गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे एक-दूसरे के ब्रांड, प्रतिष्ठा या शैक्षिक एवं व्यावसायिक समुदायों में उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।



8. क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष, अपने संबंधित अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, सहयोगियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों सहित, दूसरे पक्ष को इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या इससे संबंधित सभी दावों, मांगों, लागतों, देनदारियों, हानियों, व्ययों, प्रतिकूल निर्णयों और क्षतियों से क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा, जो इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में क्षतिपूर्तिकर्ता की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार से उत्पन्न होते हैं।

9. अवधि और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित निष्पादन की तिथि से प्रभावी होगा और तीन (3) वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को सूचना देकर इसे पहले ही समाप्त न कर दिया जाए। प्रत्येक पक्ष को किसी भी समय दूसरे पक्ष को 1 (एक) महीने का लिखित नोटिस देकर समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का अधिकार होगा।

किसी भी पक्ष द्वारा समाप्ति का किसी भी पूर्व दायित्व, परियोजना या पहले से चल रही गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाप्ति के बावजूद, समाप्ति की प्रभावी तिथि तक अर्जित सभी अधिकार और दायित्व दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।

10. संशोधन खंड

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौते द्वारा आशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

11. विविध प्रावधान

- (क) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर किया गया है, और इस समझौता ज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों पक्षों के बीच साझेदारी या एजेंसी का गठन करे या ऐसा माना जाए, और दोनों पक्षों को किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा। \
- (ख) इस बात पर सहमति है कि इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को पक्षों द्वारा सार्वजनिक डोमेन में रखा जा सकता है।
- (ग) यह समझौता ज्ञापन भारत में लागू कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।
- (घ) इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी मतभेद या विवाद का निपटारा केवल नई दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में होगा।



(ड) प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन में सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

गवाह के रूप में, पक्षों ने इन प्रस्तुतियों को पहले ऊपर लिखे दिन, महीने और वर्ष में निष्पादित किया है।

हस्ताक्षरित एवं वितरित (जेम, भारत सरकार की ओर से)	पहले गवाह की उपस्थिति में (कृते जेम, भारत सरकार)
श्री मिहिर कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी/Chief Executive Officer गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) Government e Marketplace (GeM) भारत सरकार/Government of India जिवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001 Jeevan Tara Building, New Delhi-110001 स्थान: नई दिल्ली दिनांक:	श्री आशीष कुमार सक्सेना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आशीष कुमार सक्सेना / ASHISH KUMAR SAXENA निदेशक-जेम क्रेता प्रबंधन / Director-GeM Buyer Management वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस / Government e-Marketplace भारत सरकार / Government of India नई दिल्ली / New Delhi-110001
हस्ताक्षरित एवं वितरित (एनसीजीजी, भारत सरकार की ओर से) डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े महानिदेशक (डीजी) सार्वजनिक शांति केंद्र National Centre for Good Governance प्रशासनिक सहायक (डीएआरएडपीजी), केंद्र, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग Department of Personnel, Public Grievances & Pensions भारत सरकार / Government of India स्थान: नई दिल्ली दिनांक: ८.११.२०२४	दूसरे गवाह की उपस्थिति में (कृते एनसीजीजी, भारत सरकार) Ganesh Mahlaawat